ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट
"માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા"
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-6 अंक : 88

सहयोग शुल्क : रु. 1 / अप्रैल : 2024

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

मनुष्य के विकास के लिए कद नहीं हौसला बड़ा होना चाहिए ।
– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

मनुष्य रंग, कद या वर्ण से नहीं कार्यों से बड़ा होता है ।
– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

कद छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, इनसान की प्रगति के लिए आवश्यक है उसका हौसला । अगर इनसान का हौसला बड़ा होगा तो वह आसमान की बुलंदीयों और हिमालय की चोटी को भी छू सकता है । समाज की संकीर्ण मानसिकता ने हर कार्य को व्यक्ति की क्षमताओं के बदले उसकी मर्यादाओं के घेरे में बहुत बांध दिया है । कोई भी कार्य हर कोई कर सकता है के बदले ये कार्य इनसे नहीं हो सकते वाली मानसिकता क्षमताओं के भंडार से भरे व्यक्ति को भी बाधित करती है । देश को विकास की ऊंचाईयों तक ले जाने के लिए ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की सोच में आमूल परिवर्तन करना होगा ।

डॉ.गणेश बारैया ऊच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी डॉक्टर बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे क्योंकि व्यवस्था और समाज की सोचने उनकी शिक्षा और योग्यता के बदले उनके कद की ओर अधिक ध्यान दिया था । हमारे देश की न्याय व्यवस्था में उनकी श्रद्धा के कारण और स्कूल संचालक एवं मित्रों के सहयोग से ही आज वे दुनिया के सब से छोटे कद के डॉक्टर बन गये हैं । किसी भी व्यक्ति के विकास में केवल उसकी ऊच्च शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है किंतु समाज की सोच में परिवर्तन भी अनिवार्य है इसका जीवंत द्रष्टांत डॉ.गणेश बारैया का डॉ.बनने तक का संघर्ष हमें दिखाता है । क्योंकि अगर केवल शिक्षा और योग्यता ही अनिवार्य होती तो उन्हें इतना संघर्ष नहीं करना पडता । डॉ.गणेश बारैया के सुप्रीम कोर्ट तक के संघर्ष ने समाज को केवल दर्पण ही नहीं दिखाया किंतु उच्च पदों पर आरुढ होने का सपना देखनेवाले दिव्यांगों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य भी किया है । हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिव्यांगों के विकास और मुख्य धारा में सम्मिलित होने के पथ में आडे आने वाले रोडे को हटानेवाला निर्णय दिया है । डॉ.गणेश बारैया जो केवल दिव्यांग ही नहीं किंतु सभी छात्रों और पूरे समाज के लिए एक श्रेष्ठ द्रष्टांत है कि मनुष्य कद से नहीं अपने कार्यों और हौंसलों से बड़ा होता है । डॉ.गणेश बारैया को अनेको शुभकामनाएं ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

अप्रैल : 2024, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष-6 अंक : 88

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦

मंत्रयुगपरिवर्तक ॐकार महामंडलेश्वर १००८
प. पू. संतश्री सद्‌गुरु ॐऋषि स्वामी ।

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

मिलिए...दुनिया के सब से वामन डॉक्टर से...कम ऊंचाई के कारण एडमिशन नहीं मिला तो गणेश बारैया सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष की वैतरिणी पार कर डॉक्टर बने...

अगर तुम किसी भी चीज को पूरी सिद्दत से चाहो तो उसे तुम से मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है...हिन्दी फिल्म के इस डायलोग को सार्थक किया है भावनगर के एक डॉक्टर ने । अगर हम कहें कि आज हम आपको तीन फिट ऊंचाई और 18 किलो वजन वाले डॉक्टर कि बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी बच्चे की बात कर रहे हैं पर हकीकत यह नहीं है हम बात कर रहे हैं भावनगर के 23 साल के गणेश बारैया की । डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? 12 विज्ञान में अच्छे मार्क्स, नीट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना होता है, आदि । यह बात सभी जानते हैं. लेकिन क्या आपने सुना है कि यह युवक को डॉक्टर बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पडा था? जी हां, तळाजा तालुका के गोरखी के डॉ. गणेश बारैया को डॉक्टर बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था । आज गणेश डॉक्टर बन गए हैं । इतना ही नहीं वह दुनिया के सबसे छोटे कद के डॉक्टर बन गए हैं । गणेश बारैया हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की संघर्ष की वैतरिणी पार कर के डॉक्टर बने हैं । ड़ॉक्टर की पढ़ाई हर किसी के बस की बात नहीं होती लेकिन गणेश के लिए तो पढ़ाई के साथ साथ लोगों की मानसिक सोच के साथ भी संघर्ष की लड़ाई लडनी थी । डॉ.गणेश बारैया विश्व के सबस से कम ऊंचाई वाले डॉक्टर हैं ।

भावनगर जिले के तलाजा तहसील के गोरखी गाँव में जन्मे डॉ.गणेश बारैया ने विश्व के सब से कम ऊंचाई के डॉक्टर बनने की उपलब्धि प्राप्त कर गुजरात के साथ साथ भारत देश का पूरे विश्व में गौरव बढ़ाया है । भावनगर की सरकारी मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस की पढ़ाई पूरी कर के डॉक्टर गणेश अब इन्टर्नशीप कर रहे हैं । केवल तीन फिट ऊंचाई और 18 किलो वजन वाले गणेश बारैया की

इन्टर्नशीप मार्च 2025 में पूर्ण होगी।

'MCI ने MBBS में प्रवेश देने से इनकार कर दिया था'

डॉकटर गणेश NEET, PG 2025 की परीक्षा उत्तीर्ण कर के दवाई, शिशुरोग, त्वचारोग विज्ञानी या मनोचिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ाई करने का लक्ष्य रखते हैं। एम.बी.बी.एस पूर्ण कर के इन्टर्नशीप कर रहे डॉ.गणेश बारैया कहते है कि इन्टर्नशीप के बाद NEET PG 2025 की परीक्षा देकर वे मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स,डर्मेटोलोजी या साइकियाट्रिक में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। उनका डॉक्टर बनने का सफर आसान नहीं था उनके इस सफर में स्कूल के डिरेक्टर, मेडिकल कॉलेज के डिन, प्रोफेसर के साथ साथ उनके मित्रों का सहयोग मिला है। उन्हें तो स्कूल संचालकों से डॉक्टरों पर प्रतिबंध लगाने का विचार भी आया था। जब MCI ने उन्हें MBBS में प्रवेश देने से इनकार किया था तब तलाजा के निलकंठ विध्यालय स्कूल के संचालकों ने उन्हें हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लडने के लिए सहयोग दिया था।

'एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चलाई'

डॉ.गणेश बारैया का डॉक्टर बनने का सफर काफि संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा है। गणेश ने मेडिसिन प्रकेटिस के लिए 2018 में 12वीं साइन्स के साथ NEET में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन उनकी कम ऊंचाई के कारण MCI ने उन्हें मेडिकल में प्रवेश देने से इनकार कर दिया था। लेकिन गणेश हार मानने वाले नहीं थे, गणेश के स्कूल संचालकों ने उन्हें MCI के प्रवेश न देने के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में केस करने के लिए कहा। इस कार्य के लिए स्कूल संचालकों ने उनका बहुत ही सहयोग भी किया। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में गणेश को हार का सामना करना पड़ा.। हार के कारण गणेश काफि मायूस और निराश हो गये थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अभी खुले थे इसलिए अपने सपने को पूरा

करने के लिए फिर से खड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट को दरवाजे खटखटाये । गणेश के द्रढ मनोबल के कारण और उनके संवैधानिक अधिकारों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुण उनके पक्ष में 23/10/2018 को फैसला सुनाया । सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल में पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश देने के लिए आदेश दिया । सुप्रीम के आदेश से भावनगर स्थित मेडिकल कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया । 01/08/2019 से MBBS में उनकी पढ़ाई शुरु हो गई । गणेश ने जब मेडिकल की पढ़ाई शुरु की थी तब उनकी ऊंचाई तीन फिट और वजन केवल 16 किलो था । उनकी ऊंचाई के कारण अगर कोई समस्या होती तो पहले स्कूल से और अब कॉलेज में दोस्तों से मदद मिल जाती थी ।

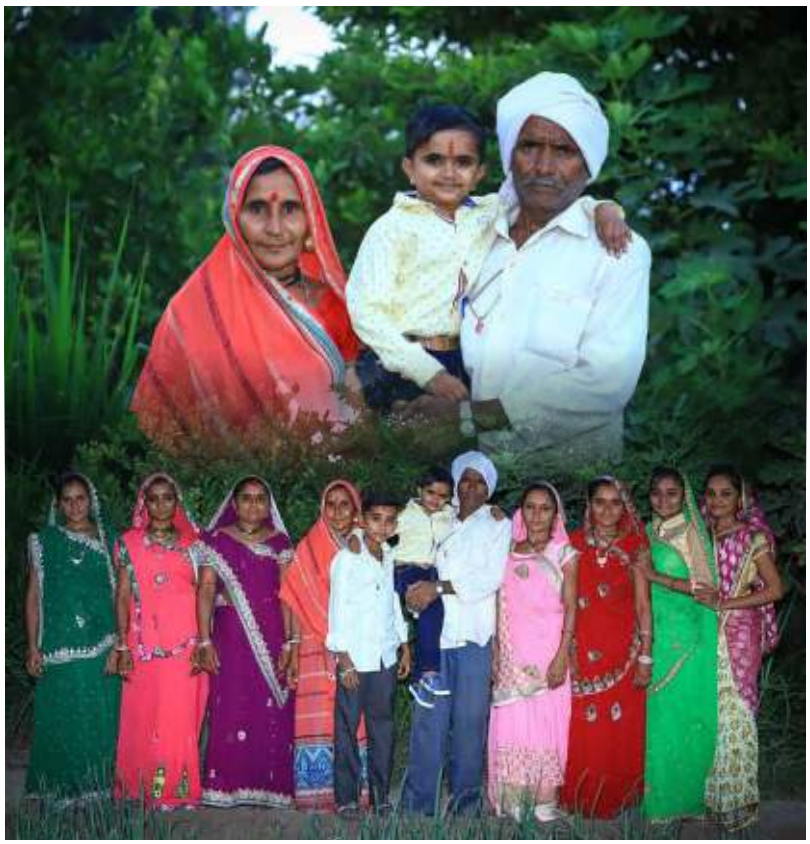

दोस्त हमेशां परीक्षा में आगे बैठने के लिए कहते थे '

डॉक्टर गणेश कहते हैं कि कम ऊंचाई के कारण रोजमर्रा के काम में थोडी बहुत समस्याएं आती रहती हैं । स्कूल में था तो स्कूल के दोस्त और संचालकों ने पूरा सहयोग देकर मेरी पढाई में कभी कोई अडचन नहीं आने दी थी, कई बार अन्य बच्चों की तुलना में मुझे विशेष सुविधाएं दी जाती थी । जब मेडिकल कॉलेज में प्रक्टिकल परीक्षाएं थी तो उस में भी कॉलेज के डीन का पूरा सहयोग मिला था । जब भी कॉलेज के प्रोफेसर प्रकेटिकल परीक्षाएं लेते थे तब उसमें भी विशेष सहयोग मिलता था । कॉलेज के मित्रों ने भी बहुत सहायता की है । कॉलेज की परीक्षाओं में दोस्त हमेशा मुझे आगे बैठने के लिए कहते थे । कई बार मेरे लिए अलग से टेबल और स्टूल की भी व्यवस्था की जाती थी ।

'परिवार में सात बहनों के बीच एक भाई है '

गणेश के माता पिता गरीब परिवार के खेत मजदूर है । उनके चाचा के अन्य पांच पुत्र भी डॉक्टर है । गणेश कहते हैं कि उन्होंने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखा था । 12वीं कक्षा में पढाई कर रहे थे तब स्कूल ने संचालकों ने भी उनका मनोबल बढाते हुए कहा था कि अगर इतनी कम ऊंचाई के

साथ तुम डॉक्टर बनोगे तो पूरे विश्व में यह एक वर्ल्ड रिकोर्ड होगा । इसके लिए उन्होंने कडी मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित किया था । संचालकों की प्रेरणा के कारण मैंने कडी मेहनत की और संघर्ष भी किया था । कडी मेहनत और संघर्ष का ही परिणाम है कि आज वह दुनिया के सब से कम ऊंचाई वाले डॉक्टर बन गये हैं । संघर्षों की इतनी वैतरिणी पार करने के बाद भी गणेश हमेशा लोगों से हंसते हुए ही मिलते हैं । गणेश के परिवार में उनके माता-पिता, सात बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है । पिता खेती करते हैं । गणेश की सातों बहनों की शादी हो गई है और वे सभी अपनी ससुराल में हैं । छोटा भाई B.Ed की पढ़ाई कर रहा है । गणेश के साथ साथ उसके चचेरे पांच भाई भी डॉक्टर है ।

'कम ऊंचाई देखकर दर्दी को आश्चर्य होता है '

शुरु शुरु में गणेश की सफलता को लेकर उनके दोस्तों को भी आशंकाएं थी । दोस्तों की इन आशंकाओं को झूठा साबित कर के संघर्षों से लडकर गणेश ने सफलता के शिखर को सर किया है । जब दर्दी शुरु में गणेश को देखते हैं तो उनकी कम ऊंचाई को देखकर उन्हें आश्चर्य होता है । लेकिन जब दर्दी डॉक्टर गणेश के साथ बातचीत करते हैं और डॉक्टर उनका इलाज करते हैं तो उनके इलाज से उन्हें आनंद होता है । क्योंकि डॉक्टर गणेश दर्दीओं के साथ एक डॉक्टर की तरह नहीं किंतु एक मित्र की तरह बातचीत और इलाज करते हैं । डॉ.गणेश के इस संघर्ष और सफलता ने उनके जैसे कई शारीरिक दिव्यांगों को प्रेरणा और बल प्रदान किया है । डॉ.गणेश कहते हैं कि मनुष्य के भीतर छिपी प्रतिभा और बल के आगे कोई भी विपदा और मर्यादा नहीं टिक सकती । अगर मनुष्य अपने मन में विश्वास और स्वयं पर भरोसा रखे तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी ।

(अधिक जानकारी अगले अंक में)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

हम पिछले दो अंकों से दिव्यांगजन अधिनियम २०१६ के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि देश के हर कोने में बैठा हर दिव्यांग अपने अधिकारों और हक के लिए जागृत बनें। देश में आज भी ऐसे कई दिव्यांग है जो इस कानून के बारे में और उससे मिले अधिकारों के बारे में जानते नहीं है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कारण दिव्यांगजनों के अधिकारो में भारी परिवर्तन आया है । इस अधिनियम को दिव्यांगजन के अधिकारों के यू.एन, कन्वेंशन के अनुरुप भारतीय कानून बनाने के लिए अधिनियिमित किया गया है। इसके द्वारा गरिमा, वैयक्तिक स्वतंत्रता, (तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पसंद चुन सकता है), विभेद रहित तथा सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत को मूर्त रुप दिया गया है।

(पिछले अंक का अनुसंधान)

७. न्याय तक पहुंच:

यह अधिनियम कहता है कि न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकरण आयोग या कोई अन्य न्यायिक अर्ध न्यायिक अथवा अन्वेषण की शक्तियां रखनेवाले निकाय तक पहुंच में दिव्यांगता आडे नहीं आनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि दिव्यांगों के साथ न्याय प्राप्ति के लिए कोई विभेद नहीं होना चाहिए । दिव्यांजनों के न्यायालयों में पहुंच के लिए सरकार द्वारा समान रुप से सहायता उपाय किए जाने होंगे जिससे कि कुटुम्ब से बाहर रहनेवाले लोग और उन्हें जिन्हें उच्च सहायता कि आवश्यकता है वे अपने न्यायिक अधिकारों का उपयोग कर सके।

राष्ट्रीय और राज्य विधि सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है कि वे जो भी स्कीम, कार्यक्रम, सुविधा अथवा सेवा प्रदान करते हैं वे सभी दिव्यांगजन की पहुंच में हो।

अधिनियम कहता है कि सभी लोक दस्तावेज सुगम रुप विधान में होंगे। मतदाता सूची, , जनगणना रिपोर्ट, नगर आयोजन रिपोर्ट, ग्राम अभिलेख राष्ट्रीयकृत बैंको के अभिलेख, जन्म और मृत्यु रजिस्टर लोक दस्तावेज हैं। न्यायालय के ऐसे सभी विभाग-कार्यालय जहां पर दस्तावेज फाइल किए जाएं रजिस्टर किए जाएं अथवा भंडार किए जाएं उनमें ऐसे उपस्कर है जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुगम रुप विधानों में फाइल करने, स्टोर करने और निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया है। इससे यह अभिप्रेत है कि द्रश्य-श्राव्य दिव्यांगो के लिए सभी

दस्तावेज श्रवण – ब्रेल रुप विधान में सुगम होंगे।

दिव्यांगजनों के अधिकार संबंधी यूएन कन्वेशन में दिव्यांगो के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में अधिकारों की व्यापक रुप से व्याख्या की गई है और उसमें कहा गया है कि किसी भी दिव्यांगजन को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार होगा उसे केवल मतदान करने का अधिकार नहीं होगा । उसका निर्वाचित होने का अधिकार भी होगा। इसका तात्पर्य है कि चुनावों में गुप्त मतदान तथा डराये धमकाए बिना दिव्यांगजनों को मतदान करने तथा चुनावों में खड़े होने का और पदभार संभालने सभी सार्वजनिक कार्य करने का अधिकार है । जहां कहीं आवश्यक हो सहायक प्रोद्योगिकी (भाषांतरण, संकेत भाषा, श्रव्य, द्रश्य उपकरणों) का उपयोग किया जा सकता है।

१. नियोजन में विभेद न करना:

यह अधिनियम सरकारी स्थापनों को नियोजन से संबंधित किसी मामले में दिव्यांगजनों के विरुद्ध उसकी दिव्यांगता के आधार पर विभेद न करने से तब तक रोकता है जब तक कि सरकार अधिसूचना द्वारा यह न बताए कि उस सथापन को उसके काम के प्रकार से ऐसा करने की छूट न दी गई हो।

सरकार के सभी स्थापनों के भीतर उपयुक्त परिवर्तन और समायोजन किए जाने होंगे जिससे कि दिव्यांगजन भी अन्य के समान सरलतापूर्वक अपना कार्य करने में सक्षम हो सके। कार्यस्थल का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की बाधा (चाहे भौतिक, संप्रेषणात्मक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय संस्थागत राजनैतिक, सामाजिक, प्रवृत्तिमूलक) बाधा न हो।

दिव्यांगता के आधार पर किसी की भी प्रोन्नति रोकी नहीं जा सकती । यदि एक व्यक्ति सेवा के दौरान दुर्घटना के कारण अथवा किसी अन्य कारण से दिव्यांग हो जाता है तो उसे किसी भी सरकारी स्थापन का पद से अभिमुक्त करने अथवा उसका रैंक कम करने का अधिकार नहीं होगा।

यदि कोई कर्मचारी उस कार्य को करने के योग्य नहीं रह गया है जिसे वह वर्तमान में कर रहा था तो उसे समान वेतन और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाएगा यदि उस कर्मचारी को किसी अन्य पद पर स्थानांतरित करना संभव न हो तो उसे तब तक जब तक कि उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं होता तब तक इस प्रयोजन हेतु अपेक्षित संख्या से अधिक पद सृजित अथवा बनाकर रखा जाना होगा। दूसरे विकल्प के रुप में उसे तब तक सेवा में बनाये रखना होगा जब तक कि उसकी आयु स्थापन से पेंशन प्राप्त करने की नहीं हो जाती।

८. समान अवसर नीतिः

सरकारी और प्राइवेट दोनों के स्थापनों को समान अवसर नीति अधिसूचित करनी होगी जिसमें यह भी सम्मिलित करना कि दिव्यांगजनों के नियोजन के समर्थन में उन्होंने क्या उपाय करने का निर्णय लिया है । इस नीति की एक प्रति मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त के पास रजिस्टर करानी होगी । इस नीति को वेबसाइट पर डालना होगा तथा इसे कार्यालय में ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करना होगा जहां यह कार्यालय में काम करनेवाले कर्मचारियों को स्पष्ट दिखाइ दे और उनका ध्यान आकृष्ट कर सके । एक संस्था जिसमें कर्मचारियों की संख्या २० से कम है वहां पर समान अवसर नीति में दिव्यांगजनों को उपलब्ध सुविधाओं और प्रसुविधाओं का ब्यौरा देना होगा, किंतु जहां २० अथवा उसेस अधिक कर्मचारी है अथवा सरकारी संस्था में भी दिव्यांगजन अधिकारी नियमों के अंतर्गत कुछ अनिवार्यताएं होनी चाहिए जो इस प्रकार है:

(१) दिव्यांगजनों को दी जानेवाली सुविधाएं जिससे कि वे अपना काम सुचारु रुप से कर सके ।

(२) स्थापन में दिव्यांगजनों के लिए चयन किए गए पदों की सूची ।

(३) किन-किन सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है कि दिव्यांगजन के लिए अपने कार्यस्थल के आसपास और भीतर

पहुंचना और चलना सुगम होगा ।

(४) विभिन्न पदों के लिए दिव्यांगजनों का चयन किस विधि से किया जाएगा भर्ती के बाद नए पद पर प्रोन्नाति से पहले उनका प्रशिक्षण, स्थानांतरण अथवा पदस्थापन पर उन्हें दी जानेवाली वरीयताए विशेष छूट्टी तथा

रिहायशी आवासन के आबंटन में दी जानेवाली प्राथमिकता ।

(५) नीति में दिव्यांगजनों की भर्ती के प्रयोजन हेतु संपर्क अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भी उल्लेख हो ।

९. अभिलेखों का अनुरक्षण:

यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे दिव्यांगजनों के नियोजन, उन्हें दी गई सुविधाओं और उन विभिन्न उपायों का जिनके द्वारा स्थापन ने, दिव्यांगजनों के कौशल विकास और नियोजन से संबंधित उपबंध का पालन करने का निर्णय किया है, का अभिलेख करना होगा । अभिलेखों के अनुरक्षण में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी-

(१) नियोजित किए गए दिव्यांगजनों की संख्या और उन्हें किस तारीख से नियोजित किया गया ।

(२) दिव्यांगजन का नाम, लिंग और पता ।

(३) ऐसे व्यक्तियों की दिव्यांगता का स्वरुप

(४) ऐसे नियोजित दिव्यांगजन द्वारा किए जा रहे कार्य का स्वरुप

(५) ऐसे दिव्यांगजन को दी जा रही सुविधाओं का प्रकार रोजगार कार्यालयों के लिए यह अपेक्षित है कि ऐसे दिव्यांगजनों के अभिलेखों का अनुरक्षण करें जो नियोजन की तलाश में हो । स्थापनों द्वारा अनुरक्षित अभिलेख सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए सभी युक्तिसंगत अवसरों पर निरीक्षण के लिए अथवा इस जांच के लिए उपलब्ध रहेंगे कि क्या अधिनियम के उपबंधो का पालन किया जा रहा है ।

(अधिक जानकारी अगले अंक में)

मनोदिव्यांग बच्चों ने प्रस्तुत किया भक्त प्रहलाद थीम डान्स

चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित डॉ.हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फॉर मेन्टली डिसेबल्ड के एन्युअल फंक्शन में संस्था के मनोदिव्यांग बच्चों ने भक्त प्रहलाद थीम पर अदभूत डान्स प्रस्तुत किया था, पूरे डान्स में भक्त प्रहलाद के जीवन पर आधारित पूरी गाथा का सुंदर प्रस्तुतीकरण कर के कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रेक्षकों का मन मोह लिया था।

नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित डॉ.हरिकृष्ण स्वामी स्कूल फॉर मेन्टली डिसेबल्ड का एन्युअल फंक्शन हुआ ।

आश्रम रोड स्थित दिनेश होल में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी डॉ.हरिकृष्ण स्वामी स्कूल फॉर मेन्टली डिसेबल्ड का एन्युअल फंक्शन आयोजित किया गया था । एन्युअल फंक्शन में सोवेनीयर का विमोचन, एन्युअल रीपोर्ट का प्रस्तुतीकरण एवं बच्चों द्वारा विभिन्न थीमों पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं डान्स का सुंदर प्रस्तुतीकरण किया गया था । कार्यक्रम में गणमान्य अतिथि वेशेष की उपस्थिति रही जिसमें नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री डॉ. आपटे साहब,श्रीमती नयनाबेन शाह, हार्ट फाउन्डेशन एन्ड रीसर्च सेन्टर के डॉ.नितिन सुमन शाह, क्यु एक्स कंपनी के श्री चंद्रशेखर शर्मा उपस्थित थे । कार्यक्रम में १०० से अधिक बच्चों और उनके माता-पिता की उपस्थिति थी । पूरे कार्यक्रम का सुंदर संचालन निलेश पंचाल ने किया था । कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया गया ।

गायत्री विकलांग मानव मंडल की रुक्ष्मणी देवी का सम्मान हुआः

वडोदरा स्थित विशाल विन फाउन्डेशन द्वारा वडोदरा के तारा होटल में दिव्यांगों के उत्थान और कल्याण हेतु श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों के सम्मान का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । इस कार्यक्रम में दिव्यांगों के लिए जिन लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य किए हैं उन कार्यों को प्रोत्साहित करने और समाज के अन्य लोगों तक इन कार्यों और ऐसे कार्य करने वाले लोगों की बात पहुंचाने के लिए उनका सम्मान करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था । हमारे लिए गौरव की बात यह है कि गायत्री विकलांग मानव मंडल की स्थापक श्रीमती रुक्ष्मणीदेवी का और उनके द्वारा दिव्यांगों के लिए किए गये कार्यों का सम्मान किया गया । कार्यक्रम में रुक्ष्मणी देवी का सम्मान करते हुए समाज सुरक्षा और कल्याण अधिकारी और उनकी टीम द्वारा उन्हें मोमेन्टो और प्रमाणपत्र दिया गया था ।

★★★

आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रुक्ष्मणीदेवी का सम्मानः

१०-३-२०२४ के दिन रिटायर्ड कर्नल श्री नितिन महेता और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती यशोदाबेन वकील ने गायत्री विकलांग मानव मंडल की शुभेच्छा मुलाकात लेकर संस्था के द्वारा समाज के दिव्यांग, वृद्ध और निराधार लोगों के उत्थान के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों की सराहना की थी । रुक्ष्मणीदेवी द्वारा किए जा रहे इन कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने मोमेन्टो देकर उनका सम्मान किया था और इश्वर से प्रार्थना की थी कि रुक्ष्मणी देवी समाज के वंचित और दिव्यांगों के विकास और उत्थान के लिए ऐसे कार्य करती रहे और इश्वर का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहे ।

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

संचालित (N.G.O.)

ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए नि:शुल्क तालीम संस्था

▲ World Autisum Day ▲Table Tennis Competition ▲ Painting Competition ▲Sports Day Celebration
▲Rakshabandhan Celebration ▲ 15th August Celebration ▲Janmashtami Celebration
▲ Anand Niketan School Visit ▲ Picnic ▲ Traffic Awareness Program Navratri Celebration

★★★ शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करें ★★★

सुमेल ५, हाउस नं.: ४८/डी, बिजनेस पार्क, चामुंडा ब्रीज कोर्नर,
असारवा, अहमदाबाद-३८००१६ मो.: 99749 55125, 99749 55365

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर